

दिल्ली जल बोर्ड: कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी (RTI)  
निदेशक (प्रशासनिक व कार्मिक)  
कमरा न0 202, वरुणालय फेज-II, करोल बाग,  
नई दिल्ली - 110005.

क्रमांक DJB/FAA-RTI/Appeal No. 308/2014/ 1811/R

दिनांक : 09.10.2014

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री भरत सिंह के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत अपील का निपटान किया गया ।

आज दिनांक 09.10.2014 को उपरोक्त केस की सुनवाई की गई जिसमें अपीलकर्ता की ओर से श्री हरि शंकर उपस्थित हुए। एवं प्रशासन की ओर से श्री विलास रामपाल, प्रशासनिक अधिकारी (भूमि एवं सम्पदा) सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी की तरफ से उपस्थित हुए।

प्रशासन की ओर से अपिलकर्ता को उचित जवाब दिया जा चुका है। अतः इस सन्दर्भ में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

अपिलकर्ता को सलाह दी जाती है कि प्रश्न संख्या 05 एवं 07 से 11 तक के लिए सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी (Chief Engineer Water works) के समक्ष अपील प्रस्तुत करें।

इस प्रकार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरांत जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता केंद्रीय सूचना आयोग से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता है:-

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
क्लब बिल्डिंग (पोस्ट ऑफिस के पास),  
ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली 110067,  
फोन नं0 1126161796.

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)

DIARY No. 3679

DATE 10/10/2014

ह0/-

(अमित सतीजा)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री भरत सिंह  
एच-7, टाईप-1,  
हिन्दुराव जल बोर्ड स्टाफ क्वार्टर  
नजदीक हिन्दुराव अस्पताल  
दिल्ली-110006

प्रतिलिपी :

1. C.E (Water Works)-उचित कार्यवाही हेतु.
2. सहायक आयुक्त (भूमि एवं सम्पदा) जन सूचना अधिकारी,
3. E.E(EDP) वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

Sh. Sanjay Pragramma

प्रथम अपीलीय अधिकारी